



कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची ।

वन भवन, डोरण्डा, राँची-834002

E-mail : pccf-jhk@gov.in, Phone : 0651 - 2481909

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश सं० : 11E-19(A) 1-01/2019 81

दिनांक : 24-04-2026

वन विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले प्रकाशनों की गुणवत्ता, तकनीकी सटीकता और विषयगत प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए, एतद् द्वारा एक **संपादकीय बोर्ड** (Editorial Board) का गठन किया जाता है। यह बोर्ड विभागीय समाचार पत्रों (Newsletters), पत्रिकाओं (Journals) और मैगजीन आदि में प्रकाशन के लिए प्रस्तुत सभी लेखों, शोध पत्रों और तकनीकी रिपोर्टों की व्यापक जांच और समीक्षा करेगी।

संपादकीय बोर्ड का विवरण निम्नवत है :

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम/पदनाम	पद/भूमिका
1.	श्री विश्वनाथ साह, भा०व०से०, अध्यक्ष, झारखण्ड जैव विविधता पर्षद, राँची।	अध्यक्ष
2.	श्री ए०टी० मिश्रा, भा०व०से०, प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।	सदस्य
3.	श्री रवि रंजन, भा०व०से०, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची।	सदस्य
4.	श्री पी० राजेन्द्र नायडू, भा०व०से०, वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची।	सदस्य
5.	श्री विनय कान्त मिश्रा, वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची।	सदस्य
6.	श्री श्रीकान्त वर्मा, भा०व०से०, वन प्रमंडल पदाधिकारी, प्रचार एवं प्रसार प्रमंडल, राँची।	सदस्य सचिव

कार्यक्षेत्र एवं संचालन प्रक्रिया :

- संवीक्षा एवं समीक्षा** : बोर्ड सभी सामग्री की तथ्यात्मक शुद्धता और विभागीय नीतियों के साथ उनके ताल मेल की समीक्षा करेगा।
- प्रकाशन प्रक्रिया** : संपादकीय बोर्ड द्वारा सामग्री की विधिवत समीक्षा और अनुमोदन के पश्चात, 'मंडल वन अधिकारी (DFO), प्रचार प्रसार (Publicity)' उक्त सामग्री के मुद्रण और प्रकाशन की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
- गुणवत्ता नियंत्रण** : सभी प्रकाशनों में भाषा, डेटा की अखंडता और प्रस्तुति के उच्च मानकों को बनाए रखने की जिम्मेदारी बोर्ड की होगी।
- समन्वय** : DFO (प्रचार प्रसार) प्रकाशन संबंधी तकनीकी आवश्यकताओं हेतु बोर्ड के साथ निरंतर समन्वय स्थापित करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह०/-


24/04/2026

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : 11E-19(A) 1-01/2019 1332

दिनांक : 24.04.2026

प्रतिलिपि : प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सभी)/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सभी)/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक (सभी)/मुख्य वन संरक्षक (सभी)/वन संरक्षक (सभी)/वन प्रमंडल पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक : 11E-19(A) 1-01/2019 1332

दिनांक : 24.04.2026

प्रतिलिपि : आई०टी० सेल, रांची को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं प्रेषित।


24/04/2026
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, रांची।

